F.1/123(26)/2021-R-IV/SPC-II
F.1/44(09)/2022-R-IV/SPC-II

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
RECRUITMENT BRANCH
SPECIAL CELL- II SECTION

Subject: Combined Recruitment Test for recruitment to:

(i) 16 vacancies for the post of Assistant Director (Cost), Office of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure, Ministry of Finance [Advt. No. 01/2022 dated 08.01.2022, Vacancy No. 22010102408]. (SC-02, ST-02, OBC-03, EWS-01, UR-08) (PwBD-01).

(ii) 22 vacancies for the post of Assistant Director (Cost), Office of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure, Ministry of Finance [Advt. No. 09/2022 dated 14.05.2022, Vacancy No. 22050904414]. (SC-03, ST-02, OBC-06, EWS-03, UR-08) (PwBD-01).

TIME TABLE &INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

PLEASE CAREFULLY READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, VIOLATION OF ANY INSTRUCTION WILL RENDER THE CANDIDATE LIABLE TO SUCH ACTION AS THE COMMISSION MAY DEEM FIT TO TAKE.{***THE CANDIDATES ARE ADVISED TO BRING THIS COPY OF INSTRUCTIONS TO THE TEST (RECRUITMENT TEST) HALL FOR REFERENCE***}

TIME TABLE

DATE & DAY	INDIAN STANDARD TIME	SUBJECT &SUBJECT CODE
28th August, 2022 (SUNDAY)(FN)	**09.30 A.M to 11.30 A.M**	**COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING (03)**

NOTES:
CANDIDATES' REPORTING TIME AT TEST CENTER IS 1 HOUR BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE TEST.

ENTRY INTO THE TEST VENUE WILL BE CLOSED 10 MINUTES BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE RECRUITMENT TEST I.E. 09.20 A.M

CANDIDATES MUST BRING HARD COPY(PRINT OUT) OF HIS/HER E-ADMIT CARD TO THE TEST HALL TO SECURE ADMISSION.

I. Scheme of the Test:

(a) The test will be of two hours duration.
(b) All questions will carry equal marks.
(c) The test will be objective type questions with multiple choices of answer.
(d) The medium of the test will be English only.
(e) There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.
(f) The Test will carry a maximum of 300 marks.

II. Syllabus of the Test:

1) Cost Concepts and Classifications: Cost Objects, Cost Centres and Cost Unit; Collection, classification, allocation and apportionment of cost - Material Cost, Employee Cost, Direct Expenses, Overheads etc.
2) Generally Accepted Cost Accounting Principles (GACAP), Cost Accounting Standards, Cost Audit, Companies (Cost Record & Audit) Rules, 2014 as amended from time to time; Cost Auditing and Assurance Standards.
3) Methods of Costing: Single Output Costing, Job Costing, Batch Costing, Contract Costing, Process Costing, Service Costing.
4) Marginal v. Absorption Costing, Cost-Volume-Profit analysis, Decision making involving alternative choices.
5) Pricing decisions and Strategies-New Product Pricing, Monopoly Pricing v. Competitive Pricing, Pricing of Service Sector
6) Cost Control and Cost Reduction; Cost Control Techniques- Standard Costing &Variance Analysis; Budget and Budgetary Control.
7) Transfer Pricing- Methods (Cost Based, Market Price Based, Negotiated Pricing), Criteria for setting Transfer Prices, Transfer Price in different situations.
8) Emerging concepts in Cost and Management Accounting: Life Cycle costing, Activity Based costing, Learning Curve and its application, Socio-economic costing, Target costing, Total Quality Management, Environmental Management Accounting, Six Sigma etc.
9) Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs), Accounting Standards and Ind AS.
10) Financial Statements and Analysis: Preparation of Corporate Financial Statements, Ratio Analysis, Cash Flow Analysis.
11) Appraisal of Projects: Capital Budgeting, Cost of Capital, Leverage Analysis; Methods of Project Appraisal-Payback Period, Net Present Value (NPV), Financial Internal Rate of Return (FIRR), Economic Internal Rate of Return (EIRR), Benefit Cost Ratio.
12) Project Management: Project Planning, Project Life Cycle, Gantt Charts, PERT and CPM.
13) Government Accounting: General Principles and Comparison with Commercial Accounting; Government Accounting Standards issued by Government Accounting Standards Advisory Board, Role of Comptroller and Auditor General of India and Public Accounts Committee.
14) Goods and Services Tax Act & Rules : Chargeability of GST, Scope of Supply (Section 7 of CGST Act, 2017 read with Schedule I, II and III), Classification of Goods and Services under GST, Time, Value and Place of Supply of Goods and Services, Input Tax Credit (Eligibility, Blocked Credits, Method of Reversal of Credits, Recovery of Input Tax Credit), Exports, Imports and Refunds under GST, Anti-profiteering, Audit under GST.

15) Customs Law : Classification under Customs, Types of Duties (Basic customs duty, IGST replacement of CVD and Special CVD, Protective duties, Safeguard duty, Countervailing duty on subsidized articles, Anti-dumping duty), Valuation under Customs of Imported Goods and Export Goods, Deemed export, Duty drawback.

16) Companies Act, 2013 with special emphasis on provisions relating to Declaration and Payment of Dividend (Chapter VIII and Schedule II) Accounts of Companies (Chapter IX, Schedule III and Schedule VII), Audit and Auditors (Chapter X), Government Companies (Chapter XXIII).

17) Corporate Governance: Overview, Issues and Concepts, Corporate Governance, Practices/Codes in India, Corporate Governance in state-owned business – MOU System.

III. Weightage:

Combined RT and Interview may carry a 75:25 Weightage for those candidates short-listed through the Combined RT and those who qualify in the interview.

IMPORTANT NOTES:

A. The Candidate must take the Test only at the Test Venue indicated in the e-Admit Card only. If the Candidate appears at any other Test Venue, his candidature is liable to be cancelled.

B. As for candidates shortlisted in the Combined RT, the scrutiny would be done on the basis of documents uploaded by them at the time of filling of Online Application (ORA) for the subject post. However, candidates may be asked through e-mail to furnish the deficient documents, if required. Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfill all the eligibility conditions of the posts shall be called for interview.

C. The Candidates are directed to undertake the Recruitment Test at their own risk i.e. after verifying that they fulfill the qualifications as prescribed in the Advertisement, and their admission to the Test is purely 'provisional'.

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

e-ADMIT CARD:

1. Immediately on downloading of the e-Admit Card, the candidate should check it very carefully and bring to the notice of the Union Public Service Commission the discrepancies, if any, without loss of time. Special attention may be paid to the subject of the Test. Efforts will be made to upload the revised e-Admit Card(s) at the earliest in case of discrepancies. He/She must read carefully the Important Instructions mentioned there in. He/she must bring hard copy(print out)

Of his/her e-Admit Card to the TEST Hall to secure Admission. The candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring two

passport size photographs for appearing in the Recruitment Test with an undertaking along with photo identity proof viz. Aadhar Card, Driving License, Passport, Voter I.D. etc.

1.1 The candidate is responsible for the safe custody of the e-Admit Card. In the event of one's e-Admit Card being used by any other person for securing admission to the Test, the onus lies on the candidate to prove that he/she has not secured the service of an impersonator and the candidature will be cancelled and he/she will be liable for disciplinary action.

1.2 The candidate must bring the e-Admit Card to the TEST Hall. After entering the TEST Hall, the candidate must fill the Attendance List as per instructions and sign the Attendance List which will be produced before him/her by the Invigilator and then hand over the Attendance List to the Invigilator.

CONDUCT OF THE RECRUITMENT TEST:

2 Seating Plan for the candidates will be displayed at the venue of the TEST on the day of Recruitment Test. The candidates, before proceeding to the TEST halls/rooms, are advised to check the exact location of their seats.

2.1 The candidate is required to encode/write the serial number of the OMR Sheet and Serial Number and Series of Test Booklet issued to him/her in the Attendance lists, which will be produced before him/her by the Invigilator.

2.2 The candidate is requested to reach the Venue well in advance to undergo frisking. He/She will be allowed to enter the TEST Hall 60 minutes/ 1 hour before prescribed time for the commencement of the Test and get seated immediately on the seat bearing his/her Roll Number.

2.3 The candidate must attempt questions in accordance with the directions given on the Test Booklet.

2.4 The OMR Sheet will be supplied by the Invigilator of the TEST Hall. The candidate will not be provided any separate sheet for rough work as blank sheets for rough work will be appended at the end of the Test Booklet itself.

2.5 The candidate must mark the answers himself/herself with Black Ball point pen by blackening the appropriate circle. Under no circumstances, the candidate will be allowed the help of any other person to mark responses.

2.6 The candidate shall neither copy from the papers of any other candidate, nor permit his/her own papers to be copied. No attempt should be made to obtain any kind of unauthorized assistance. There should NOT be any other marking on the OMR sheet.

2.7 No candidate shall go outside the TEST Hall for any purpose, whatsoever, without prior permission of the **Invigilator on duty/Supervisor.**

2.8 When going to the toilet the candidate should turn his/her OMR sheet upside down.

2.9 No candidate shall be permitted to leave TEST Hall till expiry of the allotted time.

2.10 No candidate shall be allowed to go to the toilet during the last 30 minutes of the Test.

2.11A signal will be given at the beginning of the TEST; at half time and five minutes before the closing time. There will also be a final signal at the closing time. The candidate must not continue to mark or revise his/her answers after the expiry of the time allotted for the paper.

2.12 On completion of the Recruitment Test, the candidate shall continue to be seated and wait until OMR Sheet is collected and is allowed to go by the Invigilator. The candidate should not engage in conversation with any other candidate after the expiry of the allotted time.

2.13 The candidates should not crowd near or loiter in and around the TEST Hall/Room after leaving the Hall/Room.

2.14. Silence must be observed at all times in the TEST Hall/Room.

2.15. The candidate must abide by the instructions on the cover of the Test booklet and on the OMR Sheet and such further instructions as may be given by Supervisor/Invigilator of the Test. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Test and/or such other punishment as the Commission may deem fit to impose.

2.16 The candidate will furnish such necessary and correct information as may be required from him/her in the TEST Hall by the Invigilator/Assistant Supervisor/Supervisor/other persons so authorized.

HANDLING OF OMR /TEST BOOKLET:

3.1 Write clearly inBlack Ball point pen the Centre, Subject, Subject Code, Series of the Test Booklet and Roll Number in spaces provided in the OMR Sheet. Encode in Black Ball point pen the Booklet Series, Subject Code and Roll Number in the circles provided for the purpose in the OMR Sheet.

3.2 The Test Booklet Series is indicated on top right hand corner of the Test Booklet. Encode clearly test Booklet Series A, B, C or D as the case may be in the box on top of the OMR Sheet. **In case the Booklet Series is not printed on Test Booklet or OMR Sheet is un-numbered, the matter may be reported immediately to the invigilator concerned and the Test Booklet/OMR Sheet may be got replaced.**

3.3 The encoding of Test Booklet Series done by each candidate should tally with encoding of Test Booklet Series made by the invigilator at the appropriate space provided in the OMR sheet on the left hand margin with reference to series printed on the cover page of the Test Booklet.

3.4 All the corrections and changes in writing the Roll Number must be initialed by the candidate as well as by the invigilator and countersigned by the supervisor.

3.5 Immediately after the commencement of the test, the candidate should check that the Test Booklet supplied to him/her does not have any unprinted or torn or missing pages or items. If so, he/she should bring it to the notice of the invigilator and get it replaced by a complete Test Booklet of the same series.

3.6 The candidate must not write his/her name or anything else except the specific item of information asked for in the OMR Sheet/Test Booklet.

3.7 The candidate must take care to ensure that the OMR Sheet is not folded, mutilated or torn during handling. There should be no extraneous marking in the OMR Sheet.

3.8 The candidate should not tamper with or take away the OMR Sheet with him/her. He/she will be penalised for any attempt to do so.

3.9. The candidates should note that any omission/mistake/discrepancy in encoding /filling in details in the OMR sheet, especially with regard to Roll Number and Test Booklet Series Code, will render the OMR sheet liable for rejection.

ITEMS ALLOWED AND NOT ALLOWED IN THE HALL

4 The candidates are advised to bring their own **Black Ball point pen**. Candidates must use only **Black Ballpoint pen** for marking responses on the OMR sheet.

4.1 Electronic or any other type of calculators, log tables, slide rules, cellular/mobile phones and such IT gadgets/pagers or any other electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device are not allowed inside the premises where the TEST is being conducted. Any infringement of the above instructions shall entail disciplinary action including ban from future TESTs.

4.2 Candidates are permitted to take with them after conclusion of the Recruitment Test, the Test Booklet issued to them.

4.3 Candidates are advised not to bring any valuables/costly items to the TEST Halls, as safe keeping of the same cannot be assured. Commission will not be responsible for any loss in this regard.

4.4 **Wearing of Masks/ face cover is mandatory for all candidates. Candidates without mask/ facial cover will not be allowed entry into the venue.**

4.5 Candidates, however, will have to remove their masks for verification, whenever required by the Examination functionaries.

4.6 Candidate may carry his/ her own hand sanitizer (small size) in transparent bottle.

4.7 Candidates to follow COVID-19 norms of 'Social Distancing' as well as 'Personal Hygiene' inside the Rooms as well as premises of the venue.

GENERAL INSTRUCTIONS

5 The candidate must note that his/her admission to the Test is strictly "Provisional".

5.1 The mere fact that an e-Admit Card has been issued to him/her does not imply that the candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his/her application for the Test have Been accepted by the Commission as true and correct.

5.2 The candidate must note that the Commission takes up the verification of eligibility conditions i.e. age, educational qualifications, community etc. with reference to original documents only of those candidates who qualify in the Recruitment Test. Unless the candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be "Provisional".

5.3 The candidate must also note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage before or after the Test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, the candidature would be rejected.

5.4 Travelling and other expenses must be borne by the candidate himself/ herself.

5.5 The Commission does not make arrangements for boarding and lodging of any candidate.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PH CANDIDATES:

6.(i) Recruitment Test 16 vacancies for the post of Assistant Director (Cost), Office of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure, Ministry of Finance : Of the sixteen vacancies, one vacancy is reserved for candidates belonging to Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing(HH). The vacancies are also suitable for candidates belonging to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Leprosy Cured (LC) or Dwarfism (DW) or Acid Attack Victims (AAV) or Muscular Dystrophy (MDy).

(ii) Recruitment Test for 22 vacancies for the post of Assistant Director (Cost), Office of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure, Ministry of Finance: Of the twenty-two vacancies, one vacancy is reserved for candidates belonging to Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Leprosy Cured (LC) or Dwarfism (DW) or Acid Attack Victims (AAV) and Muscular Dystrophy (MDy). The vacancies are also suitable for candidates belonging to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Leprosy Cured (LC) or Dwarfism (DW) or Acid Attack Victims (AAV) and Muscular Dystrophy (MDy).

6.1 At this stage, candidates are being admitted to the Recruitment Test based on the data furnished by the candidates in the Online Recruitment Application (ORA) system.

6.2 All the candidates, who have claimed themselves as PH candidates, are, therefore, advised to make themselves sure that they belong to the PH categories as mentioned in the Advertisement.

6.3 The candidates must note that if subsequent to the issue of e-Admit Cards, ineligibility is detected at any stage, the candidature would be rejected.

6.4 Candidates of certain categories of disabilities like candidates with Locomotor Disability and Cerebral Palsy (LDCP) where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment)/Blind or Partially Blind candidates, appearing in the RT of 2 hours duration shall be allowed compensatory time @20 minutes/hour i.e. total 40 minutes, apart from allowing the help of scribe, wherever opted for, in Online Recruitment Application (ORA) Form.

Mobile Phones and all such IT Gadgets are banned in the test venue

फा.सं.1/123(26)/2021-भ-IV/एसपीसी-II
फा.सं.1/44(09)/2022-भ- IV/एसपीसी-II

संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती शाखा
विशेष प्रकोष्ठ-II अनुभाग

विषय : निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित भर्ती परीक्षण।

(i) मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक निदेशक (लागत) के पद की 16 रिक्तियां [विज्ञापन संख्या 01/2022, दिनांक 08.01.2022, रिक्ति संख्या 22010102408]। (अ.जा. 02, अ.ज.जा.- 02, अ.पि.व.-03, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-08) (पीडब्ल्यूबीडी-01)

(ii) मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक निदेशक (लागत) के पद की 22 रिक्तियां [विज्ञापन संख्या 09/2022, दिनांक 14.05.2022, रिक्ति संख्या 22050904414]। (अ.जा. 03, अ.ज.जा.- 02, अ.पि.व.-06, ईडब्ल्यूएस-03, अना.-08) (पीडब्ल्यूबीडी-01)

समय-सारणी एवं उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ***{उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए परीक्षा (भर्ती परीक्षण) हॉल में साथ लाएं}।***

समय-सारणी

तारीख तथा दिन	भारतीय मानक समय	विषय और विषय का कोड
28 अगस्त, 2022 **(रविवार) (पूर्वाह्न)**	**पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक**	**लागत एवं प्रबंधन लेखांकन (03)**
टिप्पणी: **परीक्षा केन्द्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 01 घंटा पहले है।** **भर्ती परीक्षण आरंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 09.20 बजे परीक्षण स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।** **उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए अपने ई प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंट आउट)**		

अवश्य साथ लाएं।

(I) परीक्षण की योजना :

(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा ।

(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

(ग) परीक्षण में बहुविकल्पीय उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

(घ) परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा ।

(ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(च) परीक्षण के अधिकतम अंक 300 होंगे।

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम

1. लागत अवधारणाएं और वर्गीकरण : लागत वस्तु, लागत केंद्र और लागत इकाई, लागत का एकत्रण, वर्गीकरण, आबंटन और विभाजन – सामग्री की लागत, कर्मचारी की लागत, प्रत्यक्ष व्यय, ऊपरी व्यय आदि।

2. सामान्यतया स्वीकार्य लागत लेखा सिद्धांत (जीएसीएपी), लागत लेखाकरण मानक, लागत लेखा-परीक्षा, समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014; लागत लेखा परीक्षण तथा आश्वासन मानक।

3. लागत पद्धतियां: एकल उत्पादन लागत निर्धारण, कार्य लागत निर्धारण, बैच लागत निर्धारण, संविदा लागत निर्धारण, प्रक्रिया लागत-निर्धारण, सेवा लागत निर्धारण|

4. सीमांत बनाम अवशोषण लागत, लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण, वैकल्पिक विकल्पों में निर्णयन।

5. मूल्य निर्धारण निर्णय तथा रणनीतियां - नव-उत्पाद मूल्य निर्धारण, एकाधिकार बाजार मूल्य-निर्धारण बनाम प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, सेवा क्षेत्र का मूल्य निर्धारण।

6. लागत नियंत्रण एवं लागत कटौती; लागत नियंत्रण की तकनीकें -मानक लागत-निर्धारण एंव विचरण विश्लेषण; बजट और बजटीय नियंत्रण|

7. हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण – पद्धतियां (लागत आधारित, बाजार मूल्य आधारित, नेगोशिएटिड मूल्य निर्धारण), हस्तांरण मूल्य निर्धारण हेतु मानदंड, विभिन्न परिस्थितियों में हस्तांतरण मूल्य|

8. लागत एवं प्रबंध लेखांकन की उभरती अवधारणाएं: जीवन चक्र का मूल्य निर्धारण, गतिविधि आधारित मूल्य निर्धारण, अधिगम वक्र और इसके अनुप्रयोग, सामाजिक-आर्थिक मूल्य निर्धारण, लक्ष्य मूल्य निर्धारण, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन लेखांकन, सिक्स सिग्मा आदि|

9. सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी), लेखांकरण मानक तथा भारतीय लेखा मानक

10. वित्तीय विवरण और विश्लेषणः कारपोरेट वित्तीय विवरण तैयार करना, अनुपात विश्लेषण, नकदी प्रवाह विश्लेषण।

11. परियोजनाओं का मूल्यांकनः पूंजी बजट प्रक्रिया, पूंजी की लागत, लेवरेज विश्लेषण, परियोजना विश्लेषण की पद्धतियां- ऋण वापसी अवधि (पेबैक पीरियड), निवल वर्तमान कीमत (एनपीवी), वित्तीय रिटर्न की आंतरिक दर (ईआईआरआर), लाभ लागत अनुपात।

12. परियोजना प्रबंधनः परियोजना की योजना, परियोजना का जीवन चक्र, गैंट (जीएएनटीटी) चार्ट, पीईआरटी और सीपीएम।

13. सरकारी लेखाकरणः सामान्य सिद्धांत एवं वाणिज्यिक लेखाकरण से इसकी तुलना, सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड द्वारा जारी लेखाकरण मानक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं लोक लेखा समिति की भूमिका।

14. माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम एवं नियमावलीः जीएसटी की प्रभार्यता, आपूर्ति का क्षेत्र (अनुसूची I, II और III के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का खंड 7) जीएसटी के अंतर्गत माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण, माल और सेवाओं की आपूर्ति का समय, मूल्य एवं स्थान, इनपुट टैक्स क्रेडिट (पात्रता, ब्लॉक किए गए क्रेडिट, क्रेडिट को रिवर्स करने की प्रक्रिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली), जीएसटी के अंतर्गत निर्यात, आयात तथा कर वापसी, जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी विरोध तथा लेखा परीक्षा।

15. सीमा शुल्क विधि: सीमा शुल्क के अंतर्गत वर्गीकरण, शुल्क के प्रकार (मूल सीमा शुल्क, सीवीडी और विशेष सीवीडी का आईजीएसटी प्रतिस्थापन, प्रोटेक्टिव शुल्क, सेफगार्ड शुल्क, आर्थिक सहायता-प्राप्त वस्तुओं पर काउंटरवेलिंग शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क) आयातित वस्तुओं और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सीमा शुल्क, मानद निर्यात, सीमा-शुल्क वापसी के अंतर्गत मूल्यांकन

16. कम्पनी अधिनियम, 2013, लाभांश की घोषणा तथा भुगतान संबंधी प्रावधानों (अध्याय VIII और अनुसूची II) पर विशेष बल देते हुए, कंपनियों के लेखे (अध्याय IX, अनुसूची III और अनुसूची VII), लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक (अध्याय X), सरकारी कंपनियां (अध्याय XXII)

17. कारपोरेट शासनः संक्षिप्त विवरण, विषय और संकल्पनाएं, भारत में कारपोरेट शासन पद्धतियां/कोड, राज्य के स्वामित्व वाले व्यवसायों में कारपोरेट शासन – समझौता ज्ञापन प्रणाली

(III) परीक्षण का वेटेज :

सम्मिलित भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

(क) उम्मीदवार उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ख) सम्मिलित भर्ती परीक्षण में लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की संवीक्षा संबंधित पदों हेतु उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन (ओआरए) भरते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। तथापि अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों को दस्तावेजों की कमी की पूर्ती करने के लिए ई-मेल द्वारा कहा

जाएगा। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवरों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें अर्थात् वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

<u>उम्मीदवारों को अनुदेश</u>

<u>ई-प्रवेश पत्र</u> :

1. ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपना ई-प्रवेश पत्र साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए परिवचन सहित अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और अपना फोटो पहचान पत्र का मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाएं।

1.1 ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

1.2 उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र परीक्षा हॉल में अवश्य लाएं। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार दिए गए अनुदेशों के अनुसार उपस्थिति सूची में हस्ताक्षर करें। यह सूची उन्हें निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। हस्ताक्षर करने के बाद उम्मीदवार उपस्थिति सूची, निरीक्षक को सौंप दें।

<u>भर्ती परीक्षण का आयोजन</u> :

2. उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था का विवरण भर्ती परीक्षण के दिन परीक्षण स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा हॉल/कक्ष तक जाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि उनके बैठने का स्थान कहां निर्धारित किया गया है।

2.1 उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान की गई ओएमआर शीट की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या तथा सीरीज का अंकन, निरीक्षक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई उपस्थिति सूची में करना होगा।

2.2 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फ्रिस्किंग हेतु, परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय रहते पहुंचें। उम्मीदवारों को परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 60 मिनट/1 घंटा पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित सीट पर तत्काल बैठ जाएंगे।

2.3 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर अंकित करेंगे।

2.4 ओएमआर शीट की आपूर्ति, परीक्षा भवन में निरीक्षक द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए अलग से कोई शीट प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कच्चे कार्य के लिए खाली शीटें, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न की गई है।

2.5 उम्मीदवार काले बॉल पॉइंट पेन से, उपयुक्त गोले को काला करके, स्वयं उत्तरों का अंकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उत्तरों का अंकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.6 उम्मीदवार न तो किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल करेंगे, ना ही अपने पेपर की नकल करने की अनुमति देंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओएमआर शीट पर किसी और प्रकार का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए।

2.7 कोई भी उम्मीदवार **ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक अथवा पर्यवेक्षक** की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन से परीक्षा भवन के बाहर नहीं जाएगा।

2.8 शौचालय जाते समय उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को पलट कर रखेगा।

2.9 आवंटित समय के पूरा होने के बाद ही उम्मीदवार को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

2.10 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.11 परीक्षण प्रारंभ होने के समय तथा इसका आधा समय बीत जाने पर और फिर समय समाप्ति से पांच मिनट पहले सिग्नल दिया जाएगा। पेपर समाप्त होने पर एक अंतिम सिग्नल भी दिया जाएगा। पेपर के लिए आबंटित समय समाप्त होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने उत्तर का अंकन अथवा उसमें संशोधन नहीं करेगा।

2.12 भर्ती परीक्षण संपन्न होने के बाद उम्मीदवार तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक कि उनकी ओएमआर शीट निरीक्षक द्वारा ले नहीं ली जाती और उन्हें बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती आवंटित समय के पूरा होने के बाद उम्मीदवार आपस में बातचीत नहीं करेंगे।

2.13 परीक्षा भवन/कक्ष से बाहर निकलने के बाद उम्मीदवार परीक्षा भवन/कक्ष के ठीक बाहर भीड़ नहीं करेंगे या घूमेंगे-फिरेंगे नहीं।

2.14 उम्मीदवार, परीक्षा भवन/ कक्ष में शांति बनाए रखें।

2.15 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका तथा ओएमआर शीट में दिए गए अनुदेशों के साथ-साथ ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान दिए जा सकते हैं। यदि

उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा अव्यवस्था फैलाता है या अनुचित आचरण करता है, तो उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा आयोग के विवेकानुसार उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

2.16 उम्मीदवार, परीक्षा भवन में निरीक्षक/ सहायक पर्यवेक्षक/ पर्यवेक्षक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं सटीकता से प्रदान करेंगे।

<u>ओएमआर /परीक्षण पुस्तिकाओं को हैंडल करने के संबंध में अनुदेश</u>:

3.1 ओएमआर शीट पर निर्धारित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से केंद्र, विषय, विषय के कोड, परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें। ओएमआर शीट में इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए गोलों में काले बॉल पॉइंट पेन से पुस्तिका की श्रृंखला, विषय के कोड तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें।

3.2 परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला, परीक्षण पुस्तिका के ऊपरी हिस्से के दाएं कोने पर दी गई है। ओएमआर शीट के ऊपरी हिस्से में दिए गए बॉक्स में इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन (एनकोडिंग) करें कि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला का कोड A,B,C या D है। **यदि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित नहीं है, अथवा आप की ओएमआर शीट पर संख्या का अंकन नहीं है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और अपनी परीक्षण पुस्तिका/ ओएमआर शीट को बदलवाएं।**

3.3 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला की एनकोडिंग वही होनी चाहिए, जो निरीक्षक द्वारा ओएमआर शीट के बाएं कोने में निर्धारित स्थान पर की गई हो। यह एनकोडिंग परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर मुद्रित श्रृंखला के संदर्भ में होनी चाहिए।

3.4 अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में उम्मीदवार के साथ-साथ निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और यह पर्यवेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

3.5 परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वह उन्हें प्रदान की गई परीक्षण पुस्तिका के संबंध में यह जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई पृष्ठ अमुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा अन्य सामग्री गायब नहीं है और यदि ऐसा हो तो इसकी जानकारी निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और इसके स्थान पर उसी श्रृंखला की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करें।

3.6 उम्मीदवार मांगी गई सूचना के अतिरिक्त ओएमआर शीट/ परीक्षण पुस्तिका पर अपना नाम या किसी प्रकार की और कोई बात नहीं लिखेगा।

3.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडलिंग के दौरान ओएमआर शीटएं न मुड़ें, न फटें और न ही खराब हों। ओएमआर शीट पर किसी प्रकार की बाहरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

3.8 उम्मीदवार को ओएमआर शीट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए अथवा ओएमआर शीट को अपने साथ लेकर नही जाना चाहिए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.9 उम्मीदवार यह नोट करें कि ओएमआर ओएमआर शीट में विवरण भरने/अंकित करने के मामले में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड करने के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/ गलती/वसंगति की स्थिति में ओएमआर शीट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

<u>परीक्षा भवन में किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है</u>

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना **काला बॉल प्वाइंट पेन** साथ लाएं। उम्मीदवार, ओएमआर शीट पर उत्तरों का अंकन करने के लिए केवल **काले बॉल प्वाइंट पेन** का ही इस्तेमाल करें।

4.1 जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रानिक या अन्य किस्म के कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेल्युलर/मोबाइल फोन तथा ऐसे आईटी गैजट/पेजर अथवा ऐसे किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा यंत्र अथवा किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार यंत्र के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों पर प्रतिबंध शामिल है।

4.2 भर्ती परीक्षण समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षण पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

4.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षा भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

4.4 सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। मास्क/फेस कवर के बगैर आए उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 हालांकि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों के कहने पर सत्यापन के प्रयोजनार्थ उम्मीदवारों को अपना फेस मास्क हटाना होगा।

4.6 उम्मीदवारों को पारदर्शी बोतलों में अपने साथ हैंड सैनीटाइजर (छोटे आकार का) लाने की अनुमति होगी।

4.7 उम्मीदवारों को परीक्षा भवन/कक्ष के साथ-साथ परीक्षा-स्थल के परिसर में, 'सामाजिक दूरी' और 'निजी साफ-सफाई' के संबंध में कोविड-19 मानदंडों का पालन करना होगा।

सामान्य अनुदेश

5. उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश बिल्कुल "अनंतिम" है।

5.1 उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सत्य और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

5.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।

5.3 उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.4 यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।

5.5 आयोग किसी उम्मीदवार के ठहरने और खान-पान का इंतजाम नहीं करता है।

<u>दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

6. <u>(i) मुख्य सलाहकार लागत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक निदेशक (लागत) के पद की 16 रिक्तियां:</u> इन 16 रिक्तियों में से एक रिक्ति बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवारों जैसे बधिर और ऊंचा सुनना अर्थात ऊंचा सुनना (एचएच) दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों अर्थात बधिर तथा ऊंचा सुनना अर्थात ऊंचा सुनना (एचएच) संबंधी दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित लोकोमोटर अक्षमता, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीडि़त तथा मस्कुलर ड्रिस्ट्रॉफी अर्थात् दोनों पांव प्रभावित किन्तु भुजा नहीं (बीएल) या एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) या एक भुजा प्रभावित (दायां अथवा बायां) (ओए) अथवा एक पांव तथा एक भुजा प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) दिव्यांग जनों के लिए भी उपयुक्त हैं।

<u>(ii) मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायक निदेशक (लागत) के पद की 22 रिक्तियां:</u> इन बाइस रिक्तियों में से एक रिक्ति बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवारों जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित लोकोमोटर अक्षमता, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मस्कुलर ड्रिस्ट्रॉफी अर्थात् दोनों पांव प्रभावित किन्तु भुजा नहीं (बीएल) या एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) (ओएल) या एक भुजा प्रभावित (दायां अथवा बायां) (ओए) अथवा एक पांव तथा एक भुजा प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बैंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों अर्थात बधिर तथा ऊंचा सुनना अर्थात ऊंचा सुनना (एचएच) संबंधी दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित लोकोमोटर अक्षमता, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीडि़त तथा मस्कुलर ड्रिस्ट्रॉफी अर्थात् दोनों पांव प्रभावित किन्तु भुजा नहीं (बीएल) या एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) (ओएल) या एक भुजा प्रभावित (दायां अथवा बायां) (ओए) अथवा एक पांव तथा एक भुजा प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) दिव्यांग जनों के लिए भी उपयुक्त हैं।

6.1 भर्ती के इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) प्रणाली में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ही भर्ती परीक्षण में प्रवेश प्रदान किया गया है।

6.2 जिन उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि वे दिव्यांगता (पीएच) श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में यथाउल्लिखित दिव्यांगता श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

6.3 उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.4 दो घंटे की अवधि वाला भर्ती परीक्षण देने वाले कतिपय श्रेणियों की दिव्यांगता जैसे लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है / दृष्टिहीन अथवा आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं, उन्हें स्क्राइब की सहायता के साथ-साथ प्रतिपूरक समय के रूप में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अर्थात् कुल 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, यदि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प दिया हो।

मोबाइल फोन तथा इस प्रकार के आईटी गैजेट्स परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं ।